न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस0

वाद पत्र संख्या– 48 / 2025

1. राजबाला चौधरी पत्नि हवासिंह चौधरी जाति जाट निवासी हाउस नंबर ए 338, कालवाड रोड, करधनी, गोविन्दपुरा, झोटवाडा, जयपुर राज0 प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0
2. एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर जरिये डीन
3. गोपाल लाल पुत्र ज्ञानाराम जाति कुमावत
4. जमनादेवी पत्नि गोपाल लाल कुमावत
5. भंवरलाल पुत्र पूरालाल

समस्त जाति कुमावत निवासी माच्छरखानी तहसील जोबनेर जिला जयपुर

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– 1. श्री लोकेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री रामावतार सिंह, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3,4,5
3. श्री तेजाराम भंवरिया, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
4. सरकार पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला-जयपुर

निर्णय दिनांकः–29.12.2025

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1485 रकबा 4.6281 हेक्टेयर वाकै ग्राम माच्छरखानी पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 से 5 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीया की उक्त आराजीयात खसरा नंबर 1485 से लगती हुई अप्रार्थी सं. 2 की आराजी खसरा नंबर 1485/2240 रकबा 0.9104 हेक्टेयर की आराजीयात स्थित है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 3 से 5 की आराजीयात खसरा नंबर 1485 एवं अप्रार्थी सं. 2 की आराजीयात खसरा नंबर 1485/2240 पृथक–पृथक आराजीयात है तथा जिसका राजस्व नक्शा भी पृथक–पृथक है। वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड व राजस्व नक्शे को ऑनलाईन किया गया तो प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 3 से 5 की आराजीयात का राजस्व

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा उसके रकबे के अनुसार दर्ज होना था एवं इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 की आराजीयात का नक्शा भी उसके राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार राजस्व नक्शा तैयार किया जाना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही व भूल से प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 3 से 5 की आराजीयात का राजस्व नक्शा उसके दर्ज रकबे के अनुसार कायम नहीं कर राजस्व नक्शे को क्षेत्रफल में छोटा अंकित कर दिया गया। जिससे उक्त नक्शे का रकबा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार सही नहीं आता है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 का जो राजस्व नक्शा वर्तमान में अंकित किया है वह उसके राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार दर्ज न होकर उसके रकबे से अधिक रकबा कायम कर राजस्व नक्शे में गलत इन्द्राज कर दिया। जिससे प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 3 से 5 एवं अप्रार्थी सं. 2 के राजस्व नक्शे में रकबे के क्षेत्रफल के अनुसार तरमीम नहीं होने से विवाद की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थीया ने पटवारी हल्का व तहसीलदार को उक्त नक्शे में दुरूस्ती करने के लिए पूर्व में कई बार कहा जिस पर उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा। परन्तु दिनांक 28.3.2025 को तहसीलदार जोबनेर से उक्त नक्शे में दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया तो उनके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की आराजी का राजस्व नक्शा में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 3 से 5 तथा अप्रार्थी सं. 2 के राजस्व नक्शे की तरमीम उक्त दोनो खसरा नंबरान की रकबा बरारी कर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम किये जाने की आज्ञा पारित करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 5 द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य स्वयं साक्ष्य से साबित करे तथा राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल बतायी गई है जिसको स्वयं साक्ष्य से साबित करे तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं अपने हिस्से पर ही काबिज है तथा मिन अप्रार्थी संख्या 2 का स्वयं का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अधिक नहीं होकर जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार ही है। अगर उक्त जमाबंदी में वर्णित रकबा में किसी प्रकार की कोई राजस्व कर्मचारियो की भूल व लापरवाही रही है तो उसका सही रकबा सक्षम राजस्व अधिकारी रिकॉर्ड में सही व जांच व अवलोकन करवाकर दर्ज करवाये। मिन अप्रार्थी के रकबे में किसी प्रकार की कोई दखल नहीं कर प्रार्थीया स्वयं के रकबे में किसी भी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार का रकबा दर्ज करवाये तो मिन अप्रार्थी संख्या 2 को कोई आपत्ति व उज नहीं है। अतः मिन अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 के जमाबंदी में दर्ज रकबे में कोई परिवर्तन व परिवर्द्धन नहीं करे तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्रांक एलआर/25/4379 दिनांक 11.11.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि ग्राम माच्छरखानी ख0नं0 1485 रकबा 4.6281 की खातेदारी राजबाला चौधरी पत्नि हवा सिंह हि0 2/3 कौम जाट, गोपाललाल पुत्र ज्ञानाराम हि0 1/12, जमना देवी पत्नि गोपाल हि0 1/12 भंवरलाल पुत्र पुरालाल हि0 1/6 जाति कुमावत के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। खसरा नंबर 1485, 1486, 1485/2240 का मौका निरीक्षण किया गया मौके पर वादीगण ख0नं0 1485 जमाबंदी रकबे 4.6281 के अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। परन्तु नक्शा सीट में ख0नं0 1485 का रकबा बरारी के अनुसार 3.2283 हे0 लगभग रकबा होता है जो की जमाबंदी रकबे से कम है। मौके पर ख0नं0 1485 की पश्चिमी व उत्तरी सीमा वर्तमान नक्शा सीट तरमीम व मौके के कब्जा काश्त से भिन्न है। आ0ख0नं0 1485/2240 रकबा 0.9104 हे0 की खातेदारी एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है जबकी नक्शा सीट में 1485/2240 का रकबा बरारी के अनुसार 2.3960 हे0 रकबा होता है जो की जमाबंदी रकबे से अधिक हैं। आ0ख0नं0 1486 रकबा 2.4658 की खातेदारी रमेश, श्रवण वगै0 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जबकी नक्शा सीट में 1486 का रकबा बरारी के अनुसार 2.3800 हे0 (लगभग) है जो की जमाबंदी रकबे से कम है।

आ0ख0नं0 1485/2240 की तरमीम नक्शा सीट में अधिक होने के कारण ख0नं0 1485 व 1486 के नक्शे का रकबा कम हो गया जबकी मौके पर उक्त ख0नं0 1485, 1486, 1485/2240 के खातेदार जमाबंदी रकबे के अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। उक्त तरमीम सेग्रीकेशन के दौरान की गई जो की गलत है। उक्त खसरा नंबरो 1485, 1486 व 1485/2240 की तरमीम मौका कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों का ही दोहरान किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का ही दौहरान किया गया। हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आ0ख0नं0 1485/2240 की तरमीम नक्शा सीट में अधिक होने के कारण ख0नं0 1485 व 1486

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

के नक्शे का रकबा कम हो गया जबकी मौके पर उक्त ख0नं0 1485, 1486, 1485/2240 के खातेदार जमाबंदी रकबे के अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। उक्त तरमीम सेग्रीकेशन के दौरान की गई जो की गलत है। उक्त खसरा नंबरो 1485, 1486 व 1485/2240 की तरमीम मौका कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। खसरा नंबर 1485 रकबा 4.6281 हे0, खसरा नंबर 1485/2240 रकबा 0.9104 हे0 वाके ग्राम माच्छरखानी तह0 जोबनेर की तरमीम तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 निर्णय के साथ जुज रहेगी। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नेहा [illegible] (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर